

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक पं0 6(1)चिस्वा/2/2014

जयपुर, दिनांक 7.6.2019

—:आदेश:—

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियम 24 बी एवं 24 बीबी के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसरण में डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत प्रमुख विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति प्रदान करने हेतु दिनांक 16.12.2014 को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई जिसमें डॉ. धनेश्वर त्रिपाठी, जन्म तिथि 01.01.1957, वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण इनका पदोन्नति परिणाम बन्द लिफाफे में रखे जाने की अभिशंषा की गई।

उक्त विचाराधीन विभागीय जांच में डॉ0 त्रिपाठी को एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण दिनांक 30.04.2019 को पुनर्विलोकन किया गया जिसके फलस्वरूप डॉ0 धनेश्वर त्रिपाठी, जन्म तिथि 01.01.1957 वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) को दिनांक 01.04.2014 के स्थान पर दिनांक 01.04.2015 से प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसन) के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है।

डॉ. त्रिपाठी दिनांक 31.12.2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से

६

(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री, राज, सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज. सरकार, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. सरकार, जयपुर
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर
6. संबंधित अधिकारी
7. प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।

३

(ओ. पी. वर्मा)

सहायक शासन सचिव